(c) the suggestions that have come from the Pakistan Government in this regard; and

(d) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) to (d) Government is very keen to improve India-Pakistan relations.

In her message of felicitations to our Prime Minister on his assumption of office, Her Excellency, the Prime Minister of Pakistan urged that India and Pakistan should sit across the table in a search for lasting peace. In his reply, dated June 8, 1996, the Prime Minister of India has suggested that the two countries undertake a wide-raging and comprehensive dialogue and resume the Foreign Secretary level talks. PM underlined that bilateral approaches and agreements, which have been devised earlier, could guide future exchanges on all matters, including those on which the two countries might have differing perceptions. PM also emphasised that efforts should be directed towards pulling down the barriers which have made people-to-people interaction between the two countries difficult and to encourage the promotion of trade, economic and cultural contacts.

Pakistan's response to PM's letter to Prime Minister of Pakistan is awaited.

भूतपूर्व सैनिकों को प्रोत्साहन

29. **श्री अजीत जोगी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को लघु स्व-रोजगार परियोजनाएं आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के लिए दिए गए उक्त प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने-कितने भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से

(ग) लघु और मध्यम स्तर के उद्योग लगाने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को वित्तीय तथा अन्य सहायता दिए जाने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजनाएं इस प्रकार हैं:—

सेमफेक्स-1: अप्रैल 1987 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से शुरू की गई इस योजना में भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों तथा अशक्त सैन्य कार्मिकों को लघु उद्योग इकाइयां, परिवहन उद्यम, सेवा उद्यम, होटल, नर्सिंग होम तथा पर्यटन परियोजनाएं स्थापित किए जाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत 15 प्रतिशत साफ्ट सीड सहायता सहित 15 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। साफ्ट सीड सहायता पर ऋण की दर केवल 6 प्रतिशत है। आवधिक ऋणों पर ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक से समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार वसूल की जाती है।

सेमफेक्स-2: यह योजना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से जनवरी 1988 में शुरू की गई थी। इस योजना में कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों या ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि इकाइयां स्थापित करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को प्रोत्साहित करने के वास्ते ऋण उपायों के व्यापक पैकेज की व्यवस्था शामिल की गई है। फार्म क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता/ऋण के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। गैर-फार्म क्षेत्र में समेकित ऋण योजना के अन्तर्गत कृषि, गैर-कृषि उद्योग तथा सेवा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए की बैंक ऋण की उच्चतम सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण में आवधिक ऋण है और इसमें प्रोत्साहकों के योगदान का कतिपय प्रतिशत शामिल है आवधिक ऋण पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लगाया जाता है। फार्म क्षेत्र के संबंध में प्रोत्साहकों का योगदान अर्थात् अतिरिक्त धनराशि जो छोटे किसानों के लिए 5 प्रतिशत, मध्यम स्तर के किसानों के लिए 10 प्रतिशत, अन्य किसानों के लिए 15 प्रतिशत और कृषि संसाधित इकाइयां के लिए 25 प्रतिशत है। सामान्यतः, गैर-फार्म

क्षेत्र के अधीन अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता इस प्रकार है:

(i)	50,000/- रुपए तक ऋण	— शून्य
(ii)	50,000/- रुपए से 1,00,000/- रुपए तक ऋण	— 5 प्रतिशत
(iii)	1,00,000/- रुपए से अधिक और 10,00,000 रुपए तक	— 10 प्रतिशत

एवं विकास के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को लाभ के अवसर प्रदान कराए जा सकें। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन खादी उद्योगों के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की न्यूनतम दर पर ऋण देता है। ग्रामोद्योगों के लिए पूंजीकगत व्यय के लिए ब्याज दर 17 प्रतिशत वार्षिक है। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और अन्य सहभागी लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी देता है। इस योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को विशेष लक्ष्य समूह में रखा गया है तथा ऋण मंजूरी और संवितरण के समय उनके मामलों पर प्राथमिकता ग्रुप के रूप में विचार किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को निम्नलिखित रियायतें भी देय होती हैं:—

(क) 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है और 10 लाख रुपए से अधिक तथा 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत की दर से सहायता दी जाती है।

(ख) खादी विकास उद्योग के कार्यकलाप शुरू करने के लिए उधार लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों को केवल 5 प्रतिशत मार्जिन-धन की ही व्यवस्था करनी पड़ती है।

(ग) जो व्यक्ति खादी विकास उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाते हैं उन्हें उदारीकृत सहायता दी जाती है।

2. भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा निर्मित और दर संविदा आधार पर अथवा क्रय संगठन द्वारा अपनाई गई किसी अन्य पद्धति के आधार पर रक्षा मंत्रालय/अन्तर सेवा संगठनों द्वारा खरीदी गई मदों के मूल्य पर पांच वर्ष के

इस योजना के अंतर्गत सभी भूतपूर्व सैनिकों को उनके रैंक, आय और ग्रामीण ऋण क्षेत्रों में परियोजनाओं के स्थान निर्धारण को ध्यान में रखे बिना सुलभ ऋण सहायता उपलब्ध है। सीमान्त धनराशि में कमी को देखते हुए गैर-फार्म योजनाओं में आटोमैटिक रिफायनैन्स स्कीम (ए आर एफ) के अंतर्गत परियोजना के लिए 75,000/- रुपए की सीमा और गैर-फार्म योजनाओं में तथा कुछ अन्य फार्म योजनाओं के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सुलभ ऋण सहायता प्रतिबंधित कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त सीमा से अधिक सीमान्त धनराशि पर राष्ट्रीय ग्रामीण और कृषि विकास बैंक (नाबार्ड) विचार कर सकता है यदि परियोजना 100 प्रतिशत निर्यात मूलक, परिवर्तनकारी, उच्च प्रौद्योगिकीय वाली अथवा बड़ी संख्या में लघु उत्पादकों को कृषि प्रसंस्करण के लाभ देने वाली हो। सुलभ ऋण सहायता के लिए किसी प्रकार की प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है।

सीमान्त धनराशि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण और कृषि विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उपलब्ध सहायता ब्याज मुक्त है। नाबार्ड ऐसे भावी उद्यमियों को ऋण सुविधा सहायता उपलब्ध कराता है। जिन्हें इस प्रकार की परियोजनाओं को शुरू करने से पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

सेमफेक्स-3 : यह योजना खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन के सहयोग से अक्टूबर 1991 में शुरू की गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग के संवर्धन लिए 10 प्रतिशत मूल्य सहायता जोकि एक वर्ष में अधिक से अधिक 50,000/- रुपए हो सकती है, उपलब्ध कराई जाती है।

3. सेमफेक्स-1, सेमफेक्स-2 और सेमफेक्स-3 के अंतर्गत लाभ पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

लाभार्थियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश	सैम्फेक्स-1	सैम्फेक्स-2	सैम्फेक्स-3
1.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
2.	असम	37	38	1
3.	आन्ध्र प्रदेश	151	32	85
4.	बिहार	718	11	1
5.	गोवा	7	—	—
6.	गुजरात	58	16	—
7.	हरियाणा	232	281	14
8.	हिमाचल प्रदेश	165	75	21
9.	जम्मू-कश्मीर	572	39	34
10.	कर्नाटक	380	58	7
11.	केरल	557	52	1
12.	मध्य प्रदेश	149	37	14
13.	महाराष्ट्र	285	481	61
14.	मणिपुर	2	3	27
15.	मेघालय	—	7	3
16.	मिजोरम	78	70	24
17.	नागालैंड	—	1	28
18.	उड़ीसा	35	18	1
19.	पंजाब	534	359	2
20.	राजस्थान	614	145	4
21.	सिक्किम	8	—	11
22.	त्रिपुरा	77	7	1
23.	तमिलनाडु	735	515	7
24.	उत्तर प्रदेश	748	847	57
25.	बंगाल	185	78	—
26.	दिल्ली	378	143	9
27.	पांडिचेरी	4	2	—
28.	अंडमान तथा निकोबार	—	—	2
29.	चण्डीगढ़	—	—	—
	योग	6687	3315	415

Youth Training under Trysem in Punjab

30. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of vouths in the State of Punjab trained under TRYSEM during the year 1995-96;

(b) the target fixed under this scheme for the next two years;

(c) the efforts made by Government to